बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र बिहार विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ८ दिसम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं बिहार विधान-सभा के सत्र फरवरी से अप्रील, १९६६ ई० के १,२९१ तारांकित प्रश्नों में से ११५ प्रश्नों के उत्तर† सदन के पटल पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

स्वर्णकारों की गिरफ्तारी।

*१। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) कितने स्वर्णकार इस राज्य में स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरुद्ध आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए ;

(२) उनको कारामुक्ति का आदेश कब दिया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री जनार्दन तिवारी—श्री कर्पूरी ठाकुर, जो इस प्रश्न के प्रश्नकर्त्ता हैं, अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। चूंकि यह अल्पसूचित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इसे पूछने की अनुमति मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष—अगर प्रश्नकर्त्ता इस प्रश्न के महत्व को समझते तो सदन से अनुपस्थित नहीं रहते। लोक-सभा में एक ही प्रश्न के कई प्रश्नकर्त्ता रहते हैं और उस प्रश्न के सामने उनका नाम अंकित रहता है। आपको भी अपना नाम देना चाहिये।

---

*प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री जनार्दन तिवारी के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।
† कृपया परिशिष्ट देखें।

श्री रघुवंश सहाय के विरुद्ध कार्रवाई

११३२। श्री राम वरन प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रघुवंश सहाय विहार परीक्षा समिति में प्रधान लिपिक के स्थान पर काम करते हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री रघुवंश सहाय १९५३ में एक काम के लिये एक ही समय में दो बार टी०ए० लिये थे जिसकी पुष्टि ग्रौडिट जांच में की गई ;

(३) क्या यह बात सही है कि ग्रौडिट जांच १९५६ में इनकी मुग्रत्तली एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ग्राजतक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण है ग्रौर सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—(१) जी नहीं। वे ग्रभी कार्यालय ग्रधीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(३) उत्तर नकारात्मक है।

(४) उत्तर नकारात्मक है।

श्री सुबोध नारायण सिंह की क्षति की पूर्त्ति

११३३। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री सुबोध नारायण सिंह, शिक्षक, ग्रपर प्राइमरी स्कूल, पिण्डारूच, जिला दरभंगा की पुर्नानियुक्ति पत्रांक १६४१, दिनांक २० जुलाई १९५४ को जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा की गयी ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक १९२४ से उक्त विभाग में काम कर रहे हैं ग्रौर १९४२ की क्रांति में पदच्युत कर दिये गये हैं ;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षक की पुर्नानियुक्ति के कारण वरीयता के ग्राधार पर उनके वेतन में चार रुपये की कमी है ; यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि की कमी की पूर्त्ति करना चाहती है ;

(४) क्या सरकार १९४२ से १९५४ तक उक्त शिक्षक को कार्यवंचित रखने से जो ग्रार्थिक क्षति हुई है उसकी पूर्त्ति करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यन्द्र नारायण सिंह—(१) उत्तर इस प्रकार है :—

श्री सुबोध नारायण सिंह की पुर्नानियुक्ति मिड्ल प्रशिक्षित के निर्धारित वेतनमान के प्रारंभिक वेतनमान पर जिला शिक्षा ग्रधीक्षक के पत्र संख्या १६४१, दिनांक २० जुलाई १९५४ के ग्रन्तर्गत की गई।